International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 29-07-2022, Accepted: 14-08-2022, Published: 31-08-2022
Volume 8, Issue 4, 2022, Page No. 92-94

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: चुनौतियाँ एवं समाधान

सैफ अहमद
शोध छात्र, हिंदी विभाग दिग्विजयनाथ पी जी कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इससे पूर्व शिक्षा पर पहली नीति 1968 में बनी थी, जो कि कोठारी आयोग(1964–66) की सिफारिशों पर आधारित थी, जिसने माध्यमिक स्तर पर 'त्रि–भाषा सूत्र' लागू करने का आवाहन किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाई गयी, जिसने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' लॉंच किया गया था और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इगनु) के साथ ओपन यूनिवर्सिटी का विस्तार भी किया गया तथा 1992 में इसका संशोधन किया गया।

मूल शब्दः जीवन में शिक्षा के महत्तव को देखते हुए

प्रस्तावना

"कुछ चाहत थी कुछ सपना था
जीवन में कुछ कर दिखने की
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात छिड़ी
हासिल कर कुछ नया कर जाने की"

विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करे के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गये। प्राप्त सुझाव तथा विभिन्न शिक्षविदों के अनुभवों तथा कस्तूरिरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा पर सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तम्भों पर निर्मित, यह नहीं शिक्षा नीति सतत विकास के लिए 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यूँ?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने व वैश्विक मानको को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की ळक्च् के 6: हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ङभ्त्क् का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को मंजूरी भी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- **3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन**

1. 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ीध्बाल वाटिकाध्श्री०स्कूल के माध्यम से प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्द्ता सूनिश्चित करना।
2. 6 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में प्रदान की जाएगी।

- **भाषायी विविधता का संरक्षण**

1. नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद छब्ज् द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
3. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए च।त।ज्ञभ् नामक एक नए राष्ट्रीय आँकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

- **उच्च शिक्षा से सम्बंधित प्रावधान**

1. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 26.3: से बढ़ाकर 50: तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में 'मल्टिपल एंट्री एंड एग्जिट' व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
3. विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त बाकी या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकाडमिक बैंक आफ क्रेडिट' दिया जाएगा।
4. नई शिक्षा नीति के तहत एम० फिल० कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

चिकित्सा एवं कनूनी शिक्षा को छोड़ कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

शिक्षण व्यवस्था से सम्बंधित सुधार

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCRT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूप रेखा का विकास किया जाएगा।

वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी०एड० डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

चुनौतियाँ

दरसल नई शिक्षा नीति कई सम्भावनाओं के साथ कई सारे सवाल और चुनौतियाँ भी साथ लायीं हैं जो निम्नलिखित है–

- 2017–18 ने भारत सरकार ने GDP का महज 2.7: ही शिक्षा पर खर्च किया जबकि नयी शिक्षा नीति के तहत 6: का लक्ष्य हासिल करना चुनौतिपूर्ण है।
- 50% Gross enrolment ratio पहुँचाने के लिए सरकार अभी तय नहीं है।
- UGC, NCTI, AICCTI की जगह एक ही नियामक के होने से शिक्षा के केंद्रीकरण की आशंका।
- बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग–अलग राज्यों में कई समस्याएँ।
- शिक्षा का संस्कृतिकरण त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से सरकार शिक्षा का सांस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है (दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है)।
- महँगी शिक्षा नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षविदों का मना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रवेश से भारतीय शिक्षा व्यवस्था महँगी होने की सम्भावना है।
- शिक्षकों का पलायन विदेशी विश्वविद्यालय के प्रयोग से भारत के दक्ष शिक्षक भी विदेशों में पलायन कर सकते हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी 'स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक' में देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया है, ऐसे में छात्रों के लिए परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना कठिन होगा।

समाधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु चार बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए–

1. उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्यबल की स्थापना

- नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु सहयोग के लिए एक विशेष कार्यबल की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रधानमंत्री का यह कार्यबल एक सलाहकरीनिकाय हो सकता है, जिसने सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानो के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए।
- यह कार्यबल नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने और एक निश्चित जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री की सहायता करेगा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु अस्थाई समिति

- नई शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन एवं इसकी निगरानी हेतु एक स्थाई समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है।
- यह समिति उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायता करेगी।

3. इन्स्टिटूट ऑफ एमिनेस में सुधार

- प्रधानमंत्री द्वारा इन्स्टिटूट ऑफ एमिनेंस की अवधारणा के तहत देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का दृष्टिकोण पेश किया गया था।
- वर्तमान में दृष्टिकोण को नई शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है और अधिक स्वतंत्रता देने के साथ संसाधनों के मामले में शशक्त बनाने की आवश्यकता है।

- इसके माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी।

4. राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रिपरिषद

- इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे तथा परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- यह परिषद NEP के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा और समस्याओं के निवारण के साथ राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

निष्कर्ष

ऐसा नहीं है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमें नई शिक्षा नीति का इंतेजार करना होगा, इसके अलावा सरकार के द्वारा समय–समय पर अनेक सुधार किए गये हैं। शिक्षा के अधिकार 2009 के अंतर्गत शिक्षा बुनियादी अधिकार तो बना दिया गया है। इसके तहत कुछ निश्चित सीटें प्राइवट स्कूलों में फरेब बच्चों के लिए आरक्षित भी कर दी गयी हैं किंतु यहाँ वास्तव में इन बच्चों को शिक्षा प्रधान करने में भेदभाव हो रहा है। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को डिरेक्ट ट्रान्स्फर के माध्यम से सीधे गरीब बच्चों को फंडिंग देकर सफल बनना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. समाचार पत्र (दैनिक जागरण सम्पादकीय), अमर उजाला (सम्पादकीय)
2. पत्र पत्रिकाएँ, समसामयिक
3. करेंट आफैरस (दृष्टि पब्लिकेशन), घटना चक्र
4. लूसेंट सामान्य अध्ययन, शिक्षा–शास्त्र पुस्तक
5. सामान्य हिंदी लूसेंट